प्रति
माननीय मुख्य न्यायाधीश,
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आदरणीय माननीय मुख्य न्यायाधीश,

पेगासस स्पाइवेयर जांच ने यह खुलासा किया है कि कैसे यह सैन्य श्रेणी मैलवेयर लक्षित लोगों के फोन पर स्थापित होकर उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले यन्त्र को एक जासूसी करने वाली वस्तु में तब्दील कर देता है, जो डेटा चुराकर उससे अज्ञात व्यक्तियों/डेटाबेस को प्रसारित करता है। इसे विशेषज्ञों द्वारा साइबर युद्ध के रूप में परिभाषित किया गया है और यह लोगों के खिलाफ राज्य प्रायोजित साइबर आतंकवाद के एक कृत्य से कम नहीं है। इस संदर्भ में, पेगासस प्रोजेक्ट और सार्वजनिक रूप से मौजूदा जानकारी संवैधानिक प्राधिकरणों की अखंडता के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रत के प्रति चिंता जगाते हैं। इस जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय जिनका संरक्षक है, गंभीर रूप से खतरे में हैं।

हम इस जानकारी से विचलित हैं कि पत्रकारों, वकीलों, मुवक्किलों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, छात्रों और यहां तक कि यौन उत्पीड़न के शिकायतकर्ताओं, गवाहों और उनके समर्थन में खड़े व्यक्तियों को पेगासस मालवेयर का वास्तविक या संभावित निशाना बनाया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस तरह की हैकिंग के साथ-साथ अन्य प्रकार के कार्यालय के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप द्वेषपूर्ण अभियोजन, गलत कारावास, हिरासत में यातना और राजनीतिक क़ैदियों की हिरासत में मौत हुई है।

महिलाओं के लिए पेगासस कांड बहुत चिंतनीय है, क्योंकि राज्य और राज्य के सत्ताधारी पुरुषों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इस तरह की निगरानी से उनका जीवन स्थायी रूप से बर्बाद हो जाता है। मानवाधिकार संरक्षकों को जेल में डाल दिया गया है, और यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों को भी राज्य प्रायोजित साइबर अपराधों के ऐसे चौंकाने वाले रूप से नहीं बख्शा गया है, जो कि डिजिटल राजकीय आतंक के अनुरूप हैं।

हम इस सूचना से बेहद परेशान हैं कि इस तरह की हैकिंग के लक्ष्यों में सुप्रीम कोर्ट की महिला कर्मचारी शामिल थीं, जिन्होंने अप्रैल 2019 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण की शिकायत की थी, और साथ ही उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े 10 मोबाइल नंबर भी

शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय के सभी तत्कालीन न्यायाधीशों के समक्ष यौन उत्पीड़न और शोषण की अपनी शिकायत का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने के पश्चात इन महिला शिकायतकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों को लक्ष्यों की सूची में डाला गया था।

यह सामान्य जानकारी है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इस्राएली फर्म एनएसओ द्वारा केवल सरकारों को बेचा जाता है, कथित तौर पर "राष्ट्रीय सुरक्षा" और "आतंकवाद-विरोधी" उद्देश्यों के लिए। इसका उपयोग परोक्ष रूप से स्मार्टफ़ोन में हैक करने के लिए किया जाता है, और फिर लक्ष्य के ज्ञान के बिना उनके स्मार्टफ़ोन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। लक्ष्यों की भारतीय सूची इंगित करती है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी राजनेताओं, न्यायपालिका, प्रेस, साथ ही कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के अन्य लोगों के बारे में सूचना एकत्र करने और शायद इस तरह से उनपर नियंत्रण पाने के लिए किया गया था।

पूरे देश में महिलाएं यह जानने की मांग करती हैं: क्या एक यौन उत्पीड़न शिकायतकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों को इस तरह की आक्रामक हैकिंग का शिकार बनाया गया- और यदि हां, तो किस उद्देश्य से और किसके द्वारा? इस संभावना के सामने, भारत में किसी भी महिला से कभी भी एक पदानुक्रमिक वरिष्ठ के खिलाफ शिकायत करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, कि यह उसे और उसके प्रियजनों को अपनी गोपनीयता के खिलाफ ऐसी भयावह आपराधिक आक्रमण का शिकार होना पड़ सकता है?

2019 में महिला की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तीन तत्कालीन न्यायाधीशों की आतंरिक समिति बनाने की थी। शिकायतकर्ता उक्त आंतरिक समिति की कार्यवाही से यह कहते हुए निकल गयीं थीं कि समिति ने उन्हें अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में सूचित करने से इंकार कर दिया था; उन्हें अपने वकील के उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी; कार्यवाही दर्ज नहीं की गई थी; और उन्हें गवाही की प्रति साथ साथ नहीं दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को धमकाया जा रहा था और उनका पीछा किया जा रहा था। आतंरिक समिति ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को क्लीन चिट देकर एकतरफा समापन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद श्री गोगोई अब सत्तारूढ़ पार्टी कि ओर से राज्यसभा सांसद हैं।

पेगासस प्रोजेक्ट में हाल के खुलासे से पता चलता है कि इस तरह की साजिश का अपराधी होने के बजाय शिकायतकर्ता, अपने परिवार के सदस्यों के साथ,अवैध हैकिंग और जासूसी के एक विस्तृत

कार्यक्रम का शिकार थीं। यदि शिकायतकर्ता उस समय इस तरह के आपराधिक दबाव में था, तो क्या आंतरिक समिति की कार्यवाही वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रही होगी? इन खुलासों पर एक संस्था के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी भारत में महिलाओं के लिए बेहद चिंताजनक है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका भारत सरकार, गृह मंत्रालय, श्री रंजन गोगोई और एनएसओ को जवाब देना चाहिए, लेकिन नागरिकों के रूप में हमारे पास इन शक्तिशाली संस्थाओं से इस तरह के जवाब मांगने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे सवाल पूछने की शक्ति है और यह उसका कर्तव्य भी है, और इसे हमारे लिए बोलना चाहिए- जैसा कि आपने हाल ही में मध्य-जुलाई एक कार्यक्रम में बोलते हुए हमें आश्वासन दिया था कि, "लोगों को विश्वास है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा। वे जानते हैं कि जब चीजें गलत होंगी तो न्यायपालिका उनके साथ खड़ी होगी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (दुनिया के) सबसे बड़े लोकतंत्र का संरक्षक है।"

हम आशा करते हैं कि आपका कार्यालय इस मामले को संज्ञान में लेने और हमारे अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने, एक संस्था के रूप में अपनी विश्वसनीयता और हमारे संविधान की रक्षा के लिए समयबद्ध जवाब मांगने में समय नहीं गंवाएगा। भारतीय जनता, और विशेष रूप से भारत की महिलाएं, इस सवाल से परेशान हैं कि क्या किसी भारतीय संस्था ने पेगासस को खरीदा, वह संस्था कौन थी, इसका भुगतान कैसे किया गया था (यह देखते हुए कि लागत कथित तौर पर प्रति फ़ोन के लिए 1.5 करोड़ रुपये अनुमानित है)? यदि यह वास्तव में खरीदा गया था, तो हैकिंग के लिए लक्ष्य कैसे चुने गए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी का क्या उपयोग किया गया? इस तरह के लक्ष्यीकरण के लिए स्वीकार्य औचित्य क्या थे, और उन्हें किस संवैधानिक प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत किया गया था? किस संवैधानिक प्राधिकरण ने पत्रकारों, राजनेताओं, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, और शिक्षाविदों (और सर्वोच्चा न्यायालय की कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों) सहित इतने सारे व्यक्तियों की गोपनीयता के आपराधिक उल्लंघन की निगरानी या समीक्षा की जिसके चलते वे पेगासस के लक्ष्यों की सूची में आए?

हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में पेगासस के उपयोग से संबंधित सभी उत्तरों की पारदर्शी रूप से मांग कर और उन्हें सार्वजनिक करके ही लोगों और विशेष रूप से महिलाओं के मन में विश्वास पैदा कर सकता है। प्रमुख तौर पे, हम सर्वोच्च न्यायालय से भारत में पेगासस के निर्यात, बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक की घोषणा करने की उम्मीद करते हैं।

हम आपका आश्वासन चाहते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच सहित सभी मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए भय मुक्त माहौल को बनाए

रखने के लिए प्रतिबद्ध है (जिसके लिए, खेदजनक रूप से, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक एक ऐसी जांच और निवारण विधि स्थापित नहीं की है जो विवेकपूर्ण तरीके से उसके विशाखा फैसले के सिद्धांतों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विषय का संघटन करती हो)। महिलाओं को एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने संस्थागत दायित्वों को पूरा करना चाहिए, और इसके लिए शिकायतकर्ताओं, उनके परिवारों और वकीलों को साइबर आक्रमण से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

हम इस पत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता,और लैंगिक समानता और स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की रक्षा के लिए इन सवालों को उठा रहे हैं।